<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>12/09/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने विदेशी नागरिकों (यूएसए नागरिकों) को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने के नाम पर ठगी करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले के मास्टरमाइंड महमूद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और बार-बार समन भेजे जाने और ईडी द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) लागू होने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। हालांकि, इस निदेशालय द्वारा लगातार प्रयासों के बाद, मास्टरमाइंड और प्रमुख व्यक्ति, महमूद खान को 10.09.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर द्वारा 03 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया गया।

ईडी ने राजस्थान पुलिस, एटीएस और एसओजी, जयपुर द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा यूएसए में वर्चुअल कॉल सेंटर और बैंक खाते खोलकर विदेशी नागरिकों को ठगने की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे जयपुर, मोहाली और भारत के अन्य हिस्सों से संचालित किया जा रहा था। जांच में पता चला कि 55 करोड़ रुपये (लगभग) की अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई और आरोपी व्यक्तियों और अन्य लोगों और उनके द्वारा पंजीकृत शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न भारतीय और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। उत्पन्न की गई ऐसी पीओसी को संपत्तियों में निवेश किया जा रहा था ताकि उन्हें बेदाग और वास्तविक के रूप में पेश किया जा सके। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि ईडी पहले ही 12.54 करोड़ रुपये की पीओसी (दागी धन से अर्जित संपत्ति) जब्त कर चुकी है।

महमूद खान ने धोखाधड़ी की योजना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। भारत में कॉल सेंटरों का समन्वय करने, फर्जी कंपनियां स्थापित करने और सीमाओं के पार अवैध धन के प्रवाह का प्रबंधन करने में उनकी भूमिका मुख्य थी। उन्होंने वीओआईपी तकनीक के उपयोग की भी देखरेख की, टेली-कॉलर्स की भर्ती की और आय को लूटने के लिए बैंक खाते खोले और सामान्य तौर पर पूरे ऑपरेशन को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। ऑपरेशन के हर पहलू में उनकी भागीदारी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग योजना के पीछे के मास्टरमाइंड में से एक के रूप में चिह्नित करती है।

इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी थी। इससे पहले, ईडी, जयपुर ने इस मामले में रफीक खान, शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल नामक 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और तत्काल मामले में दो अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं। माननीय विशेष न्यायालय ने भी दिनांक 02.03.2024 और 06.08.2024 के आदेशों के माध्यम से शिकायतों का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच प्रगति पर है।